बुंदेलखंड और पूर्वांचल पर नई औद्योगिक नीति में जोर

15 से 30 फीसदी तक सब्सिडी मिलेगी उद्योगों की स्थापना पर

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। यूपी औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 में बुंदेलखंड व पूर्वांचल में उद्योग स्थापित करने पर जोर दिया गया है। इन दोनों क्षेत्रों में निवेश पर वृहद इंडस्ट्री को पूंजी निवेश पर 10 वर्ष तक 15 प्रतिशत सब्सिडी, मेगा इंडस्ट्री को 12 वर्ष तक 22 प्रतिशत सब्सिडी, सुपर मेगा इंडस्ट्री को 15 वर्ष तक 25 प्रतिशत सब्सिडी और अल्ट्रा मेगा इंडस्ट्री को 20 वर्ष तक 30 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी।

नई नीति में कृषि व खाद्य प्रसंस्करण, हथकरघा व वस्त्रोद्योग, पर्यटन, एमएसएमई, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण, डाटा सेंटर, रक्षा व एयरोस्पेस, भंडारण व लॉजिस्टिक्स पर फोकस किया गया है। साथ ही डेयरी व कुक्कुट विकास, आईटी ल आईटीईएस, स्टार्टअप, इलेक्ट्रिक वाहन, फिल्म, नवीनीकरणीय ऊर्जा, फार्मास्युटिकल्स, नागरिक उड्डयन, जैव ईंधन, सेमीकंडक्टर, एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग व कॉमिक्स और मेगा मल्टीसेक्टर कौशल पार्क्स व हब पर भी जोर रहेगा। वहीं उद्योगों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए निजी विकासकर्ताओं को भूमि अधिग्रहण के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया लागू की जाएगी। इसके अलावा एक्सप्रेसवे और फ्रेट कॉरिडोर के किनारे इंटीग्रेडेट मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा। पीपीपी मोड पर मेडिकल डिवाइस पार्क, टेक्सटाइल पार्क, फूड प्रोसेसिंग पार्क और आईटी पार्क स्थापित किए जाएंगे।

इन सेवा क्षेत्रों में भी आमंत्रित करेंगे निवेश

सूचना प्रौद्योगिकी और आधारित सेवाएं, पर्यटन व आतिथ्य सेवा, चिकित्सा लाभ से संबंधित यात्रा, परिवहन व लॉजिस्टिक्स सेवा, लेखा व वित्त सेवा, श्रव्य दृश्य सेवा, कानूनी सेवा, संचार सेवा, निर्माण व अभियंत्रण सेवा, पर्यावरण सेवा, वित्तीय सेवा और शिक्षा सेवा।

चार सेक्टर में बंटेंगे उद्यमी

श्रेणी	न्यूनतम निवेश सीमा	रोजगार सीमा अवधि	पात्र निवेश
वृहद्	50 से 200 करोड़	कोई सीमा नहीं	4 वर्ष
मेगा	200 से 500 करोड़	300	5 वर्ष
सुपर मेगा	500 से 5000 करोड़	600	7 वर्ष
अल्ट्रा मेगा	5000 करोड़ से ज्यादा	1500	9 वर्ष

ये नए उद्योग भी स्थापित हो सकेंगे

- हरित हाइड्रोजन उत्पादन
- भारी विद्युत एवं ऊर्जा उपकरण, अर्थमूविंग एवं खनन मशीनरी, प्रक्रिया संयंत्र उपकरण, कैपिटल गुड्स
- बल्क कैमिकल्स, स्पेशियलिटी केमिकल्स, एग्रो केमिकल्स, पॉमिलर पेट्रोकेमिकल व उर्वरक
- विमान व संबंधित घटक निर्माण
- हवाई अड्डे, पंप भंडारण व संयंत्रों का विकास सहित अवस्थापना परियोजनाएं
- ऑटोमोबाइल और ऑटोमोटिव
- प्रोडक्ट लिंक इनेशेटिव, जो यूपी सरकार की किसी भी क्षेत्र विशिष्ट नीति में नहीं है

उद्योगों के लिए देंगे ग्राम समाज की भूमि

सरकार उद्योगों को ग्राम समाज की बंजर और अन्य अनुमन्य भूमि 50 वर्ष की लीज सर्किल रेट के एक प्रतिशत देगी। पट्टे को 50 वर्ष बाद भी विस्तारित किया जा सकेगा। भूमि के उपयोग प्रबंधन की प्रक्रिया को सरल किया जाएगा। कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि, ग्राम समाज की भूमि को निजी भूमि में परिवर्तित करने के साथ अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की भूमि के विक्रय की भी अनुमति दी जाएगी। यही नहीं सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार इकाइयों के स्वामित्व की भूमि का भी उपयोग करेगी। औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के क्षेत्र में स्थित ग्राम समाज की भूमि को निशुल्क प्राधिकरणों को हस्तांतरित किया जाएगा।

गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद में मिलेगी कम छूट

गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद में वृहद् इंडस्ट्री में पूंजी निवेश पर 10 प्रतिशत सब्सिडी 10 वर्ष के लिए सब्सिडी मिलेगी। मेगा में 18 प्रतिशत सब्सिडी 12 वर्ष के लिए, सुपर मेगा में 20 प्रतिशत 15 वर्ष के लिए और अल्ट्रा मेगा में 22 प्रतिशत 20 वर्ष के लिए मिलेगी। वहीं वृहद यूनिट पर पांच वर्ष तक 20 फीसदी, मेगा यूनिट पर 12 वर्ष तक 12 फीसदी, सुपर मेगा पर 10 वर्ष तक 10 फीसदी और अल्ट्रा मेगा यूनिट पर 15 वर्ष तक 8 फीसदी एसजीएसटी प्रतिपूर्ति का विकल्प मिलेगा।

इन्हें होगा फास्ट ट्रैक आधार पर भूमि आवंटन

सुपर मेगा व उससे उच्च श्रेणी की परियोजनाएं, 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाली परियोजनाएं, फॉर्च्यून ग्लोबल, फोर्ब्स ग्लोबल, एशिया बेस्ट कंपनियों में बीते लगातार तीन वर्ष से शामिल कंपनियों और उनकी सहायक कंपनियों को फास्ट ट्रैक आधार पर भूमि आवंटन होगा।